❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2019–20/ 7099 दिनांक 16-9-2020

निमित्त,

सर्व श्री मोदी लेवीगेटेट कोओलिन प्रा. लि.
बी–41, वशिष्ट मार्ग, श्याम नगर,
जिला–जयपुर (राज0)

विषयः– Proposed Diversion of 33.12 ha. of forest land in favour of Shri Modi Levigated Kaolin Pvt. For China Clay Mines in Revenue Tatera, Buchara & Basri Ganeshpura, Tehsil-Shrimadhopur & Kotputli, District- Sikar & Jaipur Raj. Proposal No. FP/RJ/MIN/20707/2016.

सन्दर्भः–आप द्वारा जमा करवायी गई प्रत्रावली दिनांक 29.07.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि आप द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं- FP/RJ/MIN/20707/2016 को रजिस्टर कर फार्म A Online प्रस्तुत करने के साथ–साथ उक्त प्रस्ताव का 2 सेट हार्डकॉपी में इस कार्यालय मे जमा कराये गये हैं। जिनका परिक्षण करने पर निम्नलिखित कमियां पाई गई हैः–

1. फार्म ए के बिन्दु सं0 बी–1 में यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रस्तावों का विवरण नही दिया गया हैं। जो दिया जाना आवश्यक हैं।
2. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली में साईट प्लान मैप स्पष्ट नही हैं।
3. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने का शपथ पत्र लगाया गया हैं, जबकि वन भूमि से लगती हुई समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन वन विभाग के नाम करवाने की कार्यवाही करवाकर उसका राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी0 टी0 शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव व LAND SUITABILITY CERTIFICATE बनाये जा सके।
4. मौके पर प्रस्तावित स्थल का सीमा चिन्हों (पिलर्स) द्वारा सीमाकंन किया जावें, ताकि मौका निरिक्षण किया जा सकें।
5. प्रस्तावित स्थल को 1:50000 की कलर जी0 टी0 शीट पर मार्क तो किया गया हैं, किन्तु एरिया छोटा होने के कारण लोकेशन मैप लार्ज स्केल पर बनाया जाना प्रस्तावित हैं।
6. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों/नक्शों पर हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पद व दिनांक अंकित नही हैं।
7. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावलियों में प्रस्ताव की मूल प्रति नही हैं। प्रस्ताव की मूल प्रति के साथ 4 अतिरिक्त सेट और प्रस्तुत करें।
8. प्रस्ताव के संलग्न FRA Certificate की मूल प्रति लगाया जाना प्रस्तावित हैं।
9. प्रस्ताव के संलग्न जियो रेफरेन्स मैप पर प्रदर्शित खसरा मैप के खसरे स्पष्ट अंकित नही हैं। साथ ही प्रस्तावित रोड के खसरों में भी एक खसरा छोडा हुआ प्रतित हो रहा हैं। अतः उसको सम्मिलित करते हुये सही स्थिति/टिप्पणी व संलग्न नक्शों का भी सही किया जाना प्रस्तावित हैं।
10. पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का दिया जाना प्रस्तावित हैं।

उक्त बिन्दुओं पर सूचना आप युजर ऐजेन्सी से ली जानी प्रस्तावित है अतः उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय

(डी.के. जोशी)
उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

Fca Inf 181